10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

3

न्यायालय सदस्य म.प्र. रेवन्यू बोर्ड, भोपाल म.प्र.

निगरानी कं- ..../2015

रामसिंह आ0 सुन्दर सिंह आयु लगभग 55 वर्ष

निवासी-ग्राम शाहगंज तहसील बुधनी निगरानी 1135-PBR-15

जिला सीहोर म.प्र. .... **अपीलार्थी**

विरूद्व

1. कपूरी सिंह उर्फ सियाशरण दास
   आ0 सुन्दर सिंह आयु 60 वर्ष
2. उदय सिंह आ0 रामसिंह आयु वयस्क
3. धनसिंह आ0 रामसिंह आयु ना.वा.संरक्षक
   पिता रामसिंह
4. मोहन सिंह आ0 राम सिंह आयु ना.बा.संरक्षक
   पिता राम सिंह
5. श्रीमती सुनीता बाइर्द पतिन राम सिंह आयु 50वर्ष
   सभी जाति ठाकुर निवासी-ग्राम शाहगंज
   तहसील बुधनी जिला सीहोर म.प्र. .... **प्रतिअपीलार्थीगण**

2

पक्षकारों एवं
आदि के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 1135—अध्यक्ष / 15

जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-6-2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के वादग्रस्त आदेश दिनांक 24–4–2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट हैं कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय में प्रचलित कार्यवाही अपील प्रकरण के निराकरण तक स्थगित की गई है । साथ ही केतार सिंह, कमलसिंह, छुटियाबाई एवं तुलसीबाई की ओर से प्रस्तुत वकालतनामा इस निष्कर्ष के साथ अमान्य किया गया है कि वे लोग अपील प्रकरण में पक्षकार नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही में प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	